न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमती सोनू आर्य**

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का मनकसास,

बनाम

श्री मदन पुत्र बनवारी जाति मीणा निवासी ग्राम खौह तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत घारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– ~~66/2020~~ 04/2021 32

दिनांक 14.07.2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपरिथत। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मनकसास ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2078 में मौजा ग्राम खौह पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 3.28 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड मेंसे 0.1781 है0 सरकारी भूमि पर श्री मदन पुत्र बनवारी जाति मीणा निवासी ग्राम खौह ने अनाधिकृत रुप से फसल निर्माण कर अतिकमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नही किया है बावजूद तामील अनुपस्थित रहा है। अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है ।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिकमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमि घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त गुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

वाके ग्राम खौह पटवार हल्का मनकसास के हाल भूमि खसरा नम्बर 75 रकबा 3.28 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ मेंसे 0.1781 है0 सरकारी भूमि पर से श्री मदन पुत्र बनवारी जाति मीणा निवासी ग्राम खौह को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.20 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 10/–रुपये (अक्षरे रू दस मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जावे। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

सोनू आर्य

तहसीलदार

उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

(सोनू आर्य)

तहसीलदार उदयपुरवाटी

मांग 2021-22 पृ0 नं0 58

रुपये 10 शान्ति

Rachana

TRA